तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय संक्षिप्त हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/2/20	... पत्रावली ... कार्यवाही हेतु दिनांक 24/2/20 को पेश हो।	
24/2/20	बमुलाहिजा मिसल प्रतिवादी सं० 2 ता 4 की तामील नहीं हो पायी है। आगामी पेशी पर तामील हेतु सम्मन तलबाना वकील वादिया आवश्यक रूप से पेश करे पेश होने पर जारी हो। मिसल वास्ते तामील प्रतिवादी सं० 2 ता 4 हेतु दिनांक 25/2/20 को पेश हो।	
25/2/20	पत्रावली पेश हुई। बमुलाहिजा मिसल प्रतिवादी सं० 2 ता 4 की तामील हेतु सम्मन तलबाना पेश नहीं किये पेश हो। अन्तिम अवसर दिया जाता है। आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से पेश हो। मिसल वास्ते तामील प्रतिवादी सं० 2 ता 4 हेतु दिनांक 03/3/20 को पेश हो।	
3/3/20	पत्रावली पेश हुई। बमुलाहिजा मिसल प्रतिवादी सं० 2 ता 4 की तामील हेतु वकील वादीगण ने बार-बार आदेशित के बावजूद सम्मन तलबाना पेश नहीं किये अतः प्रतिवादी सं० 2 ता 4 की तामील बन्द की जाती	

... अधिकारी ... (टोंक)

Scanned by CamScanner

है। वकील वादीया ने बहस
हेतु निवेदन किया। बहस सुनी
गयी। दौराने बहस वकील वादीगण
ने कथन किया कि राजस्व ग्राम
नलोडीपुरा प०ह० केरपुरा तहसील
खण्डेला जिला सीकर राजस्थान
के कृषि भूमि ख०न० 324/575
जिसके नवीन सेटलमेन्ट मे नवीन
ख०न० 388/0.18, 534/0.68, 535/0.09 की खातेदारी
प्रतिवादी स०1 अकेले के नाम कतई
गलत दर्ज है। वादीया व प्रतिवादी
स०1 एक ही खानदान व परिवार
के व्यक्ति है तथा वादग्रस्त भूमियां
वादीया व प्रतिवादी स01 की पैतृक
कृषि भूमियां है। वाद ग्रस्त भूमियां
को वरवक्त प्रथम सेटलमेन्ट वादीया
का दादा भूरा पुत्र ~~[illegible]~~
भूरा पुत्र धूला गुर्जर काश्त करता
था। जिसका लगान पेनल्टी भी
राजस्व सरकार मे वादीया का
दादा भूरा अदा करता था जिसका
इन्द्राज पुराना राजस्व रिकार्ड ख०
गिरदावरीयां स० 2009 से 2019 वादीया

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	के दादा झूरा का नाम कृषक व लगान अदायगी के कालम में निरन्तर दर्ज हुआ है तथा वादिनी के दादा की मृत्यु पश्चात वादीनी के पिता प्रभू व उनके बड़े भाई महादेव वादीनी के ताऊ प्रतिवादी सं0 1 बहैसियत बराबर काबिज काश्त हो गये। इसी प्रकार पैमाइशी लगान दोनों भाईयों ने अदा की। परन्तु वादिनी के पिता के पुत्र सन्तान नहीं होने की वजह से दोनों भाईयों ने वादग्रस्त भूमियों का पारिवारिक सैटलमेन्ट करके ख0 नं0 534 में से 0.20 है0 भूमि वादिनी के पिता प्रभू को देदी व शेष भूमि प्रतिवादी नं0 1 ने रख ली। तत्पश्चात चूंकि वादग्रस्त भूमियां राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक दर्ज थी परन्तु रकबा प्रथम सेटलमेन्ट के समय से वादिनी का दादा झूरा व झूरा की मृत्यु पश्चात वादिनी के पिता प्रभू व प्रतिवादी सं0 1 का निरन्तर कब्जा आ रहा था। प्रतिवादी सं0 1 ने वादग्रस्त भूमियों को बाला-बाला नियमन करवा ली। भूमि ख0 नं0 534 में से रकबा 0.20 है0 पर वादिनी पिता प्रभू की	

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	वादिया निरन्तर मालिक मृत्यु पश्चात वादिया जिसकी खातेदारी मालत चली आ रही है अपने नाम करवाने की अधिकारी है तथा प्रति कब्जा के आधार पर वादिया उक्त भूमि की खातेदारी अधिकारी की घोषणा करवाने की अधिकारी है अतः वादिया का वाद पक्ष स्वीकार कर डिक्री फरमाया जावे। वकील प्रतिवादी नं01 ने अभावों में कथन किया कि वाद ग्रस्त भूमि सिवायचक भूमि थी जिसका नियमन दिनांक 25-6-1999 को प्रतिवादी सं01 के गैरखातेदारी के रूप में बतौर हक अधिकार प्राप्त हुआ है किन्तु भूमि नहीं है वाद ग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं01 के नाम नियमन से आयी है वादिया केवल हैरान परेशान करने की नीयत से वाद पत्र पेश किया है जिसे खारीज फरमाया जावे। हमने बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। [signature] उपखण्ड अधिकारी [illegible] (अजमेर)

Scanned by CamScanner

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर ... अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	वाद ग्रस्त भूमि ख0नं0 534 रकबा 0.68 है प्रतिवादी सं01 के नियमन से प्राप्त हुई। पैतृक भूमि भी नहीं है। नियमन वर्ष 1999 मे हुई थी तथा वाद पत्र वर्ष 2015 में पेश किया गया है अतः वाद भी मियाद बाहर है। वादीया का वाद पत्र अस्वीकार योग्य पाये जाने पर खारीज किया जाता है। पक्षकारों [पर्चा ... जावे] फैसला सुनाया होकर नकल ले दरम हो वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो (रणजीत सिंह) RAS उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	